

Registration No-MJCR230/2022

Filling No-MJCR/1147/2022

C.N.R. No-MP-28070014972022

Filling Date- 18-10-2022

पक्षकारण:- लोकेश विरुद्ध म0प्र0 शासन

19.10.22

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 उपस्थित।

आवेदक लोकेश पिता दयाराम वर्मा आयु करीब 35 साल, निवासी ग्राम सुखारीखुर्द थाना व तह0 अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा सहित/द्वारा अधिवक्ता श्री अजय सक्सेना अधि. उपस्थित।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 457 दं0प्र0सं0 का निराकरण किया जा रहा है।

संबंधित आरक्षी केन्द्र से केस डायरी प्राप्त।

आवेदक से संबंधित वाहन आरक्षी केन्द्र अमरवाड़ा में जप्त होना दर्शित है।

आवेदन पत्र के माध्यम से प्रगट किया गया है कि, आरक्षी केन्द्र अमरवाड़ा, द्वारा वाहन वाहन फोरव्हीलर महेन्द्रा स्कॉरपीओ जिसका पंजीयन क्रमांक—MP-28-BD-4302 को जप्त किया गया है। प्रकरण के निराकरण एवं विचारण में अभी समय लगने की संभावना है। वाहन की आवश्यकता दिन-प्रतिदिन होती रहती है। वाहन के आरक्षी केन्द्र पर रखे रहने से खराब होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। आवेदक न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः वाहन सुपुर्दगी मय दस्तावेज पर सौंपे जाने का निवेदन किया है।

शासन की ओर से आवेदन का मौखिक विरोध किया है।

आवेदन पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया।

केस डायरी/प्रकरण का परिशीलन से स्पष्ट है कि, पुलिस आरक्षी केन्द्र अमरवाड़ा के अपराध क्रमांक—689/2022 में आवेदक के वाहन फोरव्हीलर महेन्द्रा स्कॉरपीओ जिसका पंजीयन क्रमांक—MP-28-BD-4302 मो0 अधि0 में मय दस्तावेज जप्त किया गया है।

जप्तशुदा वाहन का आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन/ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन/ प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में जप्तशुदा रजिस्ट्रेशन के अवलोकन से आवेदक वाहन का पंजीकृत स्वामी होना दर्शित है। न्यायिक दृष्टान्त संदरभाई अंबालाल देसाई विरुद्ध स्टेट ऑफ गुजरात ए.आई.आर. 2003 एम.सी.638 में प्रतिपादित किया गया है कि, धारा 457 दं.प्र.सं. के आवेदनों का शीघ्रता से और न्यायिक रीति से निराकरण करना चाहिये, संपत्ति बिना उपयोग के पड़ी रहने से उसके दुर्व्यपन की संभावना होती है, जिसके कारण संपत्ति के मालिक को हानि उठाना पड़ती है। वाहनों की दशा में यांत्रिक खराबी आने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा

सकता। वाहन की अतिआवश्यक कार्यों के लिए आवेदक को आवश्यकता होना स्वाभाविक है। अतः आवेदक वाहन स्वामी होने से वाहन प्रकरण के निराकरण तक अंतरिम सुपुर्दगी पर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार कर निर्देशित किया जाता है कि, आवेदक की ओर से

10,00,000 /—रुपये (दस लाख रुपये) का सुपुर्दनामा निम्नलिखित शर्तों के साथ पेश किया जाता है, तो आवेदक का वाहन अंतरिम सुपुर्दगी पर रिहा किया जावे कि:-

01. आवेदक वाहन के रंग रूप में परिवर्तन नहीं करेंगा।
02. वाहन का किसी भी प्रकार से व्ययन नहीं करेंगा।
03. वाहन की आवश्यकता होने पर न्यायालय के समक्ष स्वयं के व्यय पर प्रस्तुत करेंगा।
04. वाहन को शासन के नियमों के विपरीत उपयोग नहीं करेंगा।
05. आवेदक/सुपुर्ददार उपरोक्त वाहन के संबंध में स्वामित्व का विवाद उद्भूत होने पर स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार व जवाबदार होंगे।

उपरोक्त शर्तों के साथ आवेदक द्वारा सुपुर्दनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा वाहन का मूल रजिस्ट्रेशन तस्दीक हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो **वाहन फोरव्हीलर महेन्द्रा स्कॉरपीओ जिसका पंजीयन क्रमांक—MP-28-BD-4302** को आवेदक को आरक्षी केन्द्र अमरवाड़ा द्वारा अविलम्ब अंतरिम अभिरक्षा में सौंपा जावेगा।

संबंधित मूल दस्तावेजों की फोटो प्रति पेश करने पर संलग्न किए जावें। उक्त शर्तों के साथ सुपुर्दगीनामा पेश किए जाने पर वाहन का रिहाई आदेश मय जप्त दस्तावेज लाईसेंस के अलावा जारी हो।

सही /—

{उदयाजीत कुंवर राव}

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमरवाड़ा

पुनश्च:

आवेदक/सुपुर्ददार— **लोकेश पिता दयाराम वर्मा आयु करीब 35 साल, निवासी ग्राम सुखारीखुर्द थाना व तह0 अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा** द्वारा का सुपुर्दनामा 10,00,000 /—(दस लाख रुपये) का **वाहन फोरव्हीलर महेन्द्रा स्कॉरपीओ जिसका पंजीयन क्रमांक—MP-28-BD-4302** का पेश शर्तों के अधीन पेश किया गया। सुपुर्दगीदार की पहचान **आधार कार्ड** द्वारा की गई, जो तस्दीक उपरांत स्वीकार किया गया।

प्रकरण का परिणाम सीआईएस में दर्ज कर अभियोग पत्र

प्रस्तुत किए जाने पर उक्त पत्रावली संलग्न करें।

सही /—

{उदयाजीत कुंवर राव}
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमरवाड़ा